आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 03.08.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित अन्य मसलों पर द्वीपवासियों को हो रही तकलीफों की ओर प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी है।
- मंगलूटान में आज बिजली से संबंधित विभिन्न मसलों पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
- दक्षिण अंडमान जिले के राजस्व अधिकारियों ने ब्रुकशाबाद क्षेत्र से खदान सामग्री ले जा रहे चार ट्रकों को जब्त किया है।
- मध्योत्तर अण्डमान जिला सहायक आयुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों के साथ एनएच–चार सड़क खंड का निरीक्षण किया।
- अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में भारतीय तटरक्षक बल की ओर से तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया।

<><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपसमूह में भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित अन्य मसलों पर द्वीपवासियों को हो रही तकलीफों की ओर प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री से प्रतिक्रिया मांगी है। सासंद कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री बिष्णु पद रे ने गृह मंत्री से भू–राजस्व से जुड़े विभिन्न मसलों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया या इस संबंध में जारी आदेश के संबंध में उत्तर मांगा है, जिसमें लोगों की भूमि से संबंधित तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जारी किया गया है। सांसद ने कहा कि यदि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सब डिविज़नल ऑफिसर को वर्ष दो हजार बीस तक प्राप्त आवेदनों का विवरण और पिछले चार वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण उन्हें उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने निर्धारित समय तक मामले को लम्बित रखने के लिए संबंधित एस डी ओ और उनके पर्यवेक्षी अधिकारी के खिलाफ की जाने वाली

प्रस्तावित कार्रवाई का भी जवाब मांगा है। समझा जाता है कि गृह मंत्री छः अगस्त को सांसद के प्रश्न का उत्तर देंगे।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में आज मंगलूटान में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह दस बजे क्षेत्र के पंचायत हॉल में आरंभ होगी। इस जन सुनवाई में बिजली से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय निवासियों के साथ चर्चा की जाएगी। यह जन सुनवाई लोगों को अपनी समस्याएं रखने, प्रतिकिया देने और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और प्रभावी निवारण के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर एक प्रस्तुतिकरण और लाइव डेमो भी दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले के राजस्व अधिकारियों ने ब्रुकशाबाद क्षेत्र से खदान सामग्री ले जा रहे चार ट्रकों को जब्त किया है, जिसे वैध पारगमन पास के बिना ले जाया जा रहा था। अभियान के दौरान, राजस्व अधिकारियों द्वारा वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया और अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने एक बार फिर जिले में इस तरह की अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से ऐसी अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण के संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने को कहा गया है।

<><><><><><><>

चिन्मय मिशन के संस्थापक स्वामी चिन्मयानन्द जी के तीसवें महासमाधि दिवस के अवसर पर आज चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर में गीता परायण का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आज शाम चार बजे से आरंभ होगा और साढ़े छः बजे सत्संग और पादुका पूजा का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अण्डमान जिला सहायक आयुक्त आशीष जून ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों तथा मायाबंदर सब डिवीजन के तहसीलदार, आरआई और पटवारी की राजस्व टीम के साथ पानीघाट से बसंतीपुर तक फैले एनएच–चार सड़क खंड का निरीक्षण किया। यात्रा के दौरान, सहायक आयुक्त ने विभिन्न क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया और बसंतीपुर वन खंड और पानीघाट के बीच किए जा रहे कार्य की मरम्मत और रखरखाव का निर्देश दिया। एनएच अधिकारियों को क्षेत्र की मोटर क्षमता को बहाल करने के निर्देश दिए गए, साथ ही इस खंड पर एक और ठेकेदार को तैनात करने का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त ने एनएचआईडीसीएल के अधिकारियों को स्वदेश नगर और तुगापुर में गड्ढों को भरने का मरम्मत कार्य जारी रखने, नीम्बूडेरा क्षेत्र में सड़क की स्थिति बहाल करने का भी आदेश दिया।

<><><><><><><>

प्रातरापुर पंचायत समिति सदस्या चम्पा दास ने परिवहन सचिव को लिखे अपने पत्र में शहीद द्वीप के ग्रामीणों की ओर से अनुरोध करते हुए कहा कि शहीद द्वीप जेटी से सीतापुर गांव के लिए उपलब्ध कराई गई एसटीएस बस सेवा सड़क की खराब स्थिति के कारण बंद कर दी गई थी, लेकिन अब सड़क के बन जाने से क्षेत्र में दो बसों की आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने परिवहन सचिव से शहीद द्वीप के लिए दो एसी बसें की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास में हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की ओर से दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उददेश्य विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना और तटीय सुरक्षा से संबंधित मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं को मान्य करना था। टेबल टॉप अभ्यास के दौरान विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का अनुकरण किया गया, जिसमें घुसपैठ के प्रयास, आतंकवादी गतिविधियां, ड्रोन हमले जैसे गतिविधियां शामिल थीं। सागर कवच का सफल आयोजन भारत के समुद्री हितों की रक्षा और हमारी तटीय सीमाओं की रक्षा के लिए अण्डमान निकोबार कमान और सभी सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अण्डमान वन संभाग के अंतर्गत वन विभाग ने वन्य जीव अपराध मामलों में दो अलग–अलग अभियान चलाकर पांच व्यक्तियों को अवैध वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया है। वन रेंज अधिकारी आर. बरखा के नेतृत्व में वन अतिक्रमण रोधी दस्ते की एक संयुक्त टीम ने कौशल्यानगर आरक्षित वन क्षेत्र में गश्ती अभियान चलाकर कलसी निवासी विलियम कश्यप और बेसिल कचवा नामक दो व्यक्तियों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए बड़ी मात्रा में जाल, धारदार हथियार और अन्य सामान के साथ पकड़ा। आरोपियों को गिर्फ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा खुफिया जानकारी से मिली सूचना के आधार पर डिप्टी रेंज अधिकारी राजकुमार दत्ता के नेतृत्व में एक टीम ने आमकुंज सागर तट पर छापेमारी कर समुद्री रेत जमा करने और रखने के आरोप में कलाचंद मंडल, सुमन कुमार बिश्वास और अजय कुमार पोददार नामक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

<><><><><><><>

जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को यू जी सी दिशा–निर्देशों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार कॉलेज की वेबसाइट से आवेदन फार्म डाउनलोड कर स्व–सत्यापित दस्तावेजों के साथ कॉलेज प्राचार्य के कार्यालय में पांच अगस्त से तेरह अगस्त तक शाम साढ़े चार बजे तक जमा कर सकते हैं।

उधर, अंडमान कॉलेज में विभिन्न विषयों में अतिथि प्रवक्ताओं का पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रति लेक्चर पन्द्रह सौ रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पचास हजार रूपये होगी। आवेदन फार्म कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन फार्म आठ अगस्त को शाम साढ़े तीन बजे तक कॉलेज कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

<><><><><><><>